समावेशित शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत कुल 10 प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं यथा–पूर्ण दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक एवं भाषा बाधित, अस्थिदोष, मानसिक विमन्दित, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एवं बहुविकलांगता को आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय, क्रियात्मक शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान किया जाता है। डाइस 2014–15 के अनुसार निम्नानुसार विशेष आवश्यकता बालक–बालिकाएं है :–

क्र.सं.	विकलांगता का प्रकार	नामांकित
1	पूर्ण दृष्टिबाधित	1620
2	अल्प दृष्टिबाधित	12922
3	श्रवण बाधित	9148
4	वाक एवं भाषा बाधित	14674
5	अस्थि विकलांग	19081
6	मानसिक विमन्दित	25486
7	अधिगम अक्षमता	27419
8	सेरेब्रल पाल्सी	3022
9	ऑटिज्म	412
10	बहुविकलांग	4127
	योग	117911

समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है :–

1. **ब्रेल पुस्तकों की व्यवस्थाः–** राज्य के राजकीय विद्यालयो में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पूर्ण दृष्टि बाधित बालक–बालिकाओं को राज्य में संचालित पाठ्य पुस्तको को ब्रेललिपि में परिवर्तित कर उपलब्ध करायी जाती है।
2. **लार्ज प्रिन्ट पुस्तकों की व्यवस्थाः–** राज्य के राजकीय विद्यालयो में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत अल्प दृष्टि बाधित बालक–बालिकाओं को राज्य में संचालित पाठ्य पुस्तको को लार्ज प्रिन्ट बुक्स में परिवर्तित कर उपलब्ध करायी जाती है।
3. **असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन :–** भारतीय कृत्रिम उपकरण निर्माण संस्थान, कानपुर (एलिम्को) की सहायता से विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु ब्लॉक/जिला मुख्यालय पर असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन किया जाता है। जिसमें अंग–उपकरण वितरण हेतु पात्र बच्चों का चयन किया जाता है। उक्त कैम्प में विशेषज्ञों की टीम यथा फिजियो थैरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ के दल के द्वारा बालक–बालिका का असेसमेन्ट किया जाता है। असेसमेन्ट कैम्प में विकलांगता प्रमाण–पत्र एवं रेल व बस पास तैयार किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।
4. **अंग–उपकरण वितरण :–** सर्व शिक्षा अभियान द्वारा असेसमेन्ट कैम्प में एलिम्को कानपुर के तकनीकी दल द्वारा चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिका को आवश्यकतानुसार अंग व उपकरण यथा ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, केलीपर्स, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ब्रेलकेन आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।
5. **परिवहन भत्ता :–**राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थिदोष, दृष्टिदोष,मानसिक विमन्दित, श्रवण बाधित एवं सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक–बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन्हें परिवहन भत्ता दिया जाता है।
6. **एस्कॉर्ट भत्ता :–_** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थिदोष, दृष्टिदोष,मानसिक विमन्दित, श्रवण बाधित एवं सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक–बालिकाएं जो विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में